BUREAU OF INDIAN STANDARDS

FOR IMMEDIATE RELEASE

PRESS NOTE: G/32/2017-18 15 February 2018

BIS raid Packaged Drinking Water Manufacturing Unit

Bureau of Indian Standards (BIS) recently conducted an enforcement raid at M/s Shree Sai BeveragesinKirti Nagar Industrial Area, New Delhi. The firm was manufacturing Packaged Drinking Water packed in 20L capacity filled jars under brand "Vanshika Premium" with licence no. CM/L-8100031991 without having a valid BIS licence, violating Section 17 (3) of BIS Act, 2016 which is a cognizable offence. 20L capacity empty jars having "Vanshika Premium" Brand label were seized in huge number from the location.

भारतीय मानक ब्यूरो

तत्काल रिलीज के लिए

प्रेस नोट: जी/32/2017-18

दिनांक 15 02 2018

बीआईएस ने पैकेजबंद पेयजल की फैक्ट्री पर छापा मारा

भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) ने हाल ही में मैसर्स श्री साईं बेवरेजेज़ पर कीर्ति नगर औद्योगिक क्षेत्र, नई दिल्ली में प्रवर्तन संबंधी छापा मारा। यह इकाई 20 लि. क्षमता वाले पैकेजबंद पेयजल जार का उत्पादन भारतीय मानक ब्यूरो का वैध लाइसेंस लिए बिना लाइसेंस न. सीएम/एल - 8100031991 के अंतर्गत "वंशिका प्रीमियम" ब्रांड नाम से निर्माण कर रही थी, जो भामाब्यूरो अधिनियम 2016 की धारा 17(3) का उल्लंघन है व दण्डनीय अपराध है। बड़ी मात्रा में 20 लि. क्षमता वाले "वंशिका प्रीमियम" ब्रांड वाले लेबल लगे हुए खाली पानी के जार ज़ब्त किए गए।

